फोन 05946–245973 वेबसाइट:http://www.ukapmb.org

कार्यालय

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी

नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड़, हल्द्वानी (नैनीताल)

पत्रांकः कृ0उ0म0स0/मण्डी विस्तारीकरण/2015– 662 दिनांकः 04/09/2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग,
हल्द्वानी जिला नैनीताल।

विषय : वन भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ : जनपद नैनीताल में कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु चयनित 10.0035 है0 वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रेषित प्रस्ताव में क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पिर्यसन रोड, वन अनुसंधान संस्थान परिसर, देहरादून के पत्र संख्या : 8 बी/यू.सी.पी./09/05/2015/एफ.सी./259 दिनांक : 13.05.2015 द्वारा लगायी आपत्तियों के निस्तारण हेतु आपके कार्यालय पत्रांक : 47/12–1 (2), हल्द्वानी दिनांक 04 जुलाई, 2015 के क्रम में बिन्दुवार तैंयार की गई आख्या के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून के द्वारा कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु चयनित वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रेषित प्रस्ताव में लगायी कतिपय आपत्तियों का निस्तारण कराकर प्रस्ताव को तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, कार्यालय हल्द्वानी में भेजने/अपलोड करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त के क्रम में मण्डी समिति, हल्द्वानी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है, जिसकी बिन्दुवार सूचनाओं को 04 प्रतियों में मय 04 सी0डी0 (पी0डी0एफ0 फाईल एवं के0एम0एल0 फाईल) सहित पत्र के साथ संलग्न करते हुए इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून, क्षेत्रीय कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून एवं अन्य सम्बन्धित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करने का कष्ट करे। उक्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात निस्तारित आपत्तियों एवं संशोधित प्रपत्रों का विवरण निम्नवत् है–

बिन्दु संख्या–1 समिति द्वारा आवेदित भूमि में मण्डी के निर्माण कार्य का मदवार विवरण आपत्ति संख्या 02 के निस्तारण हेतु तैंयार की गयी सूचना में दिया गया है। चूंकि प्रस्तावित वन क्षेत्र जिसका क्षेत्रफल 10.0035 है, में कुल 19350 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। अतः परियोजना हेतु **E.C.** की आवश्यकता नहीं है। (संलग्नक 01)

बिन्दु संख्या–2 आपत्ति के निस्तारण हेतु परियोजना के ले–आउट प्लान से सम्बन्धित कार्यो का मदवार विवरण एवं आपत्ति के निस्तारण के पश्चात संशोधित अन्य प्रपत्र संलग्न है। (संलग्नक 02)

बिन्दु संख्या–3 परियोजना को वन भूमि में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य संलग्न है। (संलग्नक 03)

बिन्दु संख्या–4 आपत्ति के निस्तारण हेतु लागत–लाभ विश्लेषण प्रपत्र – 22.2 एवं प्रपत्र – 22 संलग्न है। (संलग्नक–04)

बिन्दु संख्या–5 एवं 6 आपत्ति संख्या 05 के निस्तारण हेतु हरियाली/वन क्षेत्र का घनत्व तथा आपत्ति संख्या 06 के निस्तारण हेतु संशोधित एन0पी0वी0 के आंकलन से सम्बन्धित सूचना प्रपत्र – 42 संलग्न है। (संलग्नक–05)

बिन्दु संख्या–7 आपत्ति संख्या 07 के निस्तारण हेतु मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पत्र संलग्न है। (संलग्नक–07)

बिन्दु संख्या–8 आपत्ति संख्या 08 के निस्तारण हेतु संशोधित प्रपत्र–2.1 संलग्न है।(संलग्नक–08)

बिन्दु संख्या–9 आपत्ति संख्या 09 के निस्तारण हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संलग्न है । (संलग्नक–09)

बिन्दु संख्या–10 आपत्ति संख्या 10 के निस्तारण हेतु परीक्षणोंपरान्त पुनः भूमि का चयन कर सम्बन्धित अभिलेख टोपोशीट मैप, डिजिटल मैप, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन एवं वन भूमि की उपयुक्तता एवं हरियाली के घनत्व से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है। (संलग्नक–10)

बिन्दु संख्या–11 आपत्ति संख्या 11 के निस्तारण हेतु प्रस्तावित वन भूमि 10.0035 है0 के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर लगाये जाने वाले वृक्षो के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा निर्गत पत्र संख्या 89/3–5–2 दिनांक देहरादून– 6 जून 2013 एवं आपत्ति के निस्तारण के फलस्वरूप संशोधित प्रपत्र– 37 (रिक्त पड़े स्थानों उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन) संलग्न है । (संलग्नक–11)

बिन्दु संख्या–12 आपत्ति संख्या 12 के निस्तारण हेतु निजी या अन्य भूमि का चयन न किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संलग्न है। (संलग्नक–12)

बिन्दु संख्या–13 आपत्ति संख्या 13 के निस्तारण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत वन भूमि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिये ही लीज पर ली जानी प्रस्तावित है। जानकारी के अभाव में उक्त सूचना का समावेश

प्रत्येक प्रपत्र में नहीं किया जा सका। पुनः परियोजना के **मुख पृष्ठ एवं प्रपत्र–2 के भाग–1** पर 30 वर्ष की लीज अवधि का उल्लेख कर दिया गया है। पूर्व में परियोजना के साथ संलग्न प्रपत्र–45 (लीज अवधि का प्रमाण– पत्र) में 30 वर्ष की लीज अवधि का उल्लेख किया गया है। (संलग्नक–13)

बिन्दु संख्या–14 आपत्ति संख्या 14 के निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या **562/XIII-II/46(01)/2013** दिनांक 16 जुलाई, 2015 द्वारा 10.0035 हैक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रदत्त संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है। (संलग्नक–14)

बिन्दु संख्या–15 आपत्ति संख्या 15 के निस्तारण हेतु जिला स्तरीय कमेटी एवं जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा प्रदत्त वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित प्रमाण – पत्र प्रपत्र– 30.1 संलग्न है। (संलग्नक–15)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार 04 सैट एवं सी0डी0।

भवदीय

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

पृष्ठांकन एवं दिनाक यथोक्त।
प्रतिलिपि–अधोलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, जनपद नैनीताल।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून।

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी

नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

(30 वर्ष की लीज हेतु)

परियोजना का नाम – कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल का विस्तारीकरण का कार्य

वन भूमि का विवरण :–

आरक्षित वन भूमि

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी – 10.0035 है0

सोयल वन भूमि	शून्य
वन पंचायत	शून्य
कुल वन भूमि	10.0035 है0

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण का कार्य।

आपत्ति संख्या– 01

भाग –। के पैरा–2 में उल्लेखित बिन्दु के निस्तारण हेतु कुल चयनित भूमि में अलग–अलग प्रयोजन हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्यों का उद्देश्यवार विवरण निम्नवत् है –

Builtup Area :

S.No.	Discription of Work	Units	Total Area (Sq. Mt.)
1	Shops Type - c	416 No.	16733.60
2	Kissan Bazar	22 No.	398.90
3	Office Building	01 No.	515.00
4	Farmer's Rest House	01 No.	750.00
5	Public Toilet	02 No.	140.40
6	Godown 200MT	03 No.	406.50
7	Cold Storage 200MT	01 No.	135.50
8	Cold Storage 400 MT	01 No.	271.00
			19350.90

भाग । के पैरा 4 में यह अंकित किया गया है कि परियोजना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत अनुमति लिया जाना आवश्यक नहीं है। क्योंकि प्रस्तावित वन भूमि जिसका क्षेत्रफल 10.0035 हेक्टेयर है, में कुल 19350.00 वर्ग मीटर क्षेत्र में ही निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण का कार्य।

आपत्ति संख्या– 02

आपत्ति संख्या 2 के निस्तारण हेतु कुल चयनित 10.0035 है0 भूमि में अलग–अलग प्रयोजन हेतु कराये जाने वाले निर्माण कार्यों का कम्पोनेंट वाईज क्षेत्रफल का विवरण निम्नवत् है–

Ground Coverage Area :

S.No.	Discription of Work	Units	Total Area (Sq. Mt.)
1	Shops Type - c	416 No.	16733.60
2	Kissan Bazar	22 No.	398.90
3	Open Shed Auction Platform	06 No.	4200.00
4	Office Building	01 No.	515.00
5	Farmer's Rest House	01 No.	450.00
6	Check Post	03 No.	120.00
7	Public Toilet	02 No.	140.40
8	Godown 200MT	03 No.	406.50
9	Cold Storage 200MT	01 No.	135.50
10	Cold Storage 400 MT	01 No.	271.00
11	Pump Room	01 No.	12.80
12	Road Area		
	12 M Wide Road		19255.30
	08 M Wide Road		17173.50
	3.6 M Wide Road		432.00
13	Footpath Area		9046.70
14	Parking Area		6799.20
15	Landscape Area		23944.60
	Total		**100035.00**
16	Boundary wall Length		1670.80 mtr.
17	Gates	03 No.	
18	Weigh Bridge	02 No.	
19	Over Head Tank (100000 Ltr)	01 No.	

ले–आउट प्लान संलग्न ।

नोट : चयनित भूमि में रिक्त स्थानों पर समिति द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए वृक्षारोपण किया जायेगा।

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

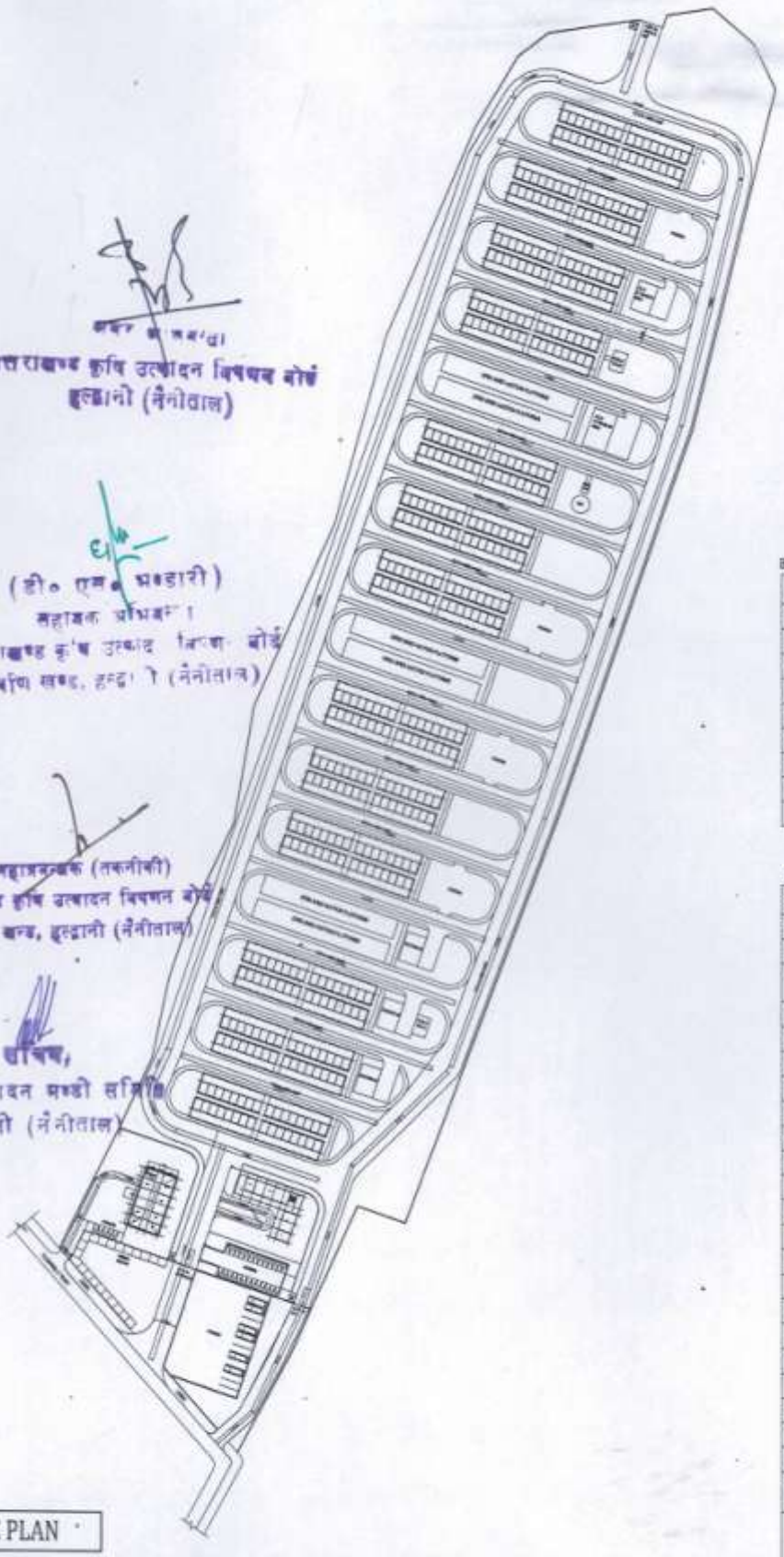

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

(डी० एस० भण्डारी)
महाप्रबन्धक
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
निर्माण खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
निर्माण खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

SITE PLAN

BUILT UP AREA

S.No	Description of Work	Units	Total Area
01	Shops type-c	416 no	16733.6 sqm
02	Kissan Bazar	22 no	398.9 sqm
03	Office Building	01 no	515.0 sqm
04	Farmer's rest house	01 no	750.0 sqm
05	Public toilet	02 no	140.4 sqm
06	Godown 200 MT	03 no	406.5 sqm
07	Cold Storage 200 MT	01 no	135.5 sqm
08	Cold Storage 400 MT	01 no	271.0 sqm
	TOTAL		19350.9 Sqm

GROUND COVERAGE AREA

S.No	Description of Work	Units	Total Area
01	Shops type-c	416 no	16733.6 sqm
02	Kissan Bazar	22 no	398.9 sqm
03	Open shed auction platform	06 no	4200.0 sqm
04	Office Building	01 no	515.0 sqm
05	Farmer's rest house	01 no	450.0 sqm
06	Check Post	03 no	120.0 sqm
07	Public toilet	02 no	140.4 sqm
08	Godown 200 MT	03 no	406.5 sqm
09	Cold Storage 200 MT	01 no	135.5 sqm
10	Cold Storage 400 MT	01 no	271.0 sqm
11	Pump Room	01 no	12.8 sqm
12	Road Area		
	12 m wide Road		19255.3 sqm
	08 m wide Road		17173.5 sqm
	3.6 m wide Road		432.0 sqm
13	Footpath Area		9046.7 sqm
14	Parking area		6799.2 sqm
15	Landscape area		23944.6 sqm
	Total		100035.0 sqm
16	Boundary wall Length		1670.80 mt
17	Gates	03 no	
18	Weigh Bridge	02 no	
19	Over Head tank (100000 ltr)	01 no	

PROPOSED MANDI @ HALDWANI

NORTH

PROPOSED MANDI @ HALDWANI

SUMMARY OF COST

SL No	DESCRIPTION	COST	REMARKS
1	MAIN BUILDING (CIVIL COST)	42,13,13,159.03	
2	FIRE FIGHTING	2,92,29,625.00	
3	SERVICES	11,81,11,118.73	
4	SITE DEVELOPMENT	14,92,95,971.01	
5	WEIGH BRIDGE (40 MT) - 02 Nos @ Rs. 100000 each	20,00,000.00	
6	COLD STORAGE REFRIGERATION SYSTEM OF 50 TR @ Rs. 15000 (FOR 200 MT)	7,50,000.00	
7	COLD STORAGE REFRIGERATION SYSTEM OF 100 TR @ Rs. 15000 (FOR 400 MT)	15,00,000.00	
8	WTP	20,00,000.00	
9	STP	50,00,000.00	
	TOTAL	**72,91,99,873.78**	
	ADD 96% Cost Index For Haldwani as per CPWD circular	70,00,31,878.83	
	ADD CONTINGENCIES @ 4%	2,80,01,275.15	
	TOTAL	**72,80,33,153.98**	
	Add WCT @ 4%	2,91,21,326.16	
	Add Labour Cess @ 1%	72,80,331.54	
	Total Cost	**76,44,34,811.68**	
	Add Consultancy Charges @ 5%	3,82,21,740.58	
	GRAND TOTAL PROJECT COST	**80,26,56,552.26**	
	SAY	**80,26,57,000.00**	

सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

(डी० एस० भण्डारी)
सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
निर्माण खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
निर्माण खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

Site Area 10.0035 Ha 100035 SQM

Ground Coverage

S.No	Discription of Work	Quantity	Unit
1	Type-C Shops (416 N0)	16733.60	Sqm.
2	Kissan Bazzar (22No)	398.90	Sqm.
3	Open Shed Auction Platform	4200.00	Sqm.
4	Office Building	515.00	Sqm.
5	Farmer's House	450.00	Sqm.
6	Check Post (03 No)	120.00	Sqm.
7	Public Toilets (02 No)	140.40	Sqm.
8	Godown (03 No. 200 MT Each)	406.50	Sqm.
9	Cold Storage (200 MT)	135.50	Sqm.
10	Cold Storage (400 MT)	271.00	Sqm.
11	Pump Room	12.80	Sqm.
	Total	23383.70	
12	Road Area		
	12 m Wide Road	19255.30	Sqm.
	08 m Wide Road	17173.50	Sqm.
	3.6 m Wide Road	432.00	Sqm.
13	Footpath Area	9046.70	Sqm.
14	Parking Area	6799.20	Sqm.
15	Landscape Area	23944.60	Sqm.
	Total Area	100035.00	
16	Boundry Wall	1670.80	mtr.
17	Gates	03 No.	
18	Weigh Bridge	02 No.	
19	Over Head Tank (100000 ltr)	01 No.	

सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

(डी० एम० भण्डारी)
सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
निर्माण खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
निर्माण खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

MANDI HALDWANI

PLINTH AREA COST

PROJECT : PROPOSED CONSTRUCTION OF MANDI @ HALDWANI							
Item No.	Description	Plinth area	Factor	Rate as per CPWD PAR 1-10-2012	Index	Net Rate	Amount
1	R.C.C. FRAMED STRUCTURE						
1.1	R.C.C. framed structure upto six storeys						
1.1.1(A)	Floor height 3.35m	23383.70		16000	0%	16000	37,41,39,200.00
1.2	Extra For						
1.2.3	Every 0.3 mt. additional height of floor above normal floor height of 3.35 mt						
	Additional Ht of 5.00m	813.00	16.67	270	0%	4500.9	36,59,231.70
	Additional Ht of 3.20m	0.00	10.67	270			

MANDI HALDWANI

PLINTH AREA COST

Item No.	Description	Plinth area	Factor	Rate as per CPWD PAR 1-10-2012	Index	Net Rate	Amount
6.6	Horticulture Operation	100035	sqm	0			-
6.7.3	Street Light with HPSV Lamps	100035	sqm	165			1,65,05,775.00
6.7.4	Exit Sign Board I/c Electric Signages	0	sqm	85			-
6.8	Boundary Wall	1670.80	RM	12270.27			2,05,01,171.01
6.8.1	Gates	3.00	Nos	250000.00			7,50,000.00
	total						14,92,95,971.01

अवर अभियन्ता
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

(डी० एस० अधिकारी)
सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
निर्माण खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
निर्माण खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र–41

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण का कार्य

मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र

परियोजना से उत्पादित मलवें के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन सहित संलग्न की जा रही है।

क0सं0	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि
1	घास एवं झाड़ी प्रजातियों का रोपण/बीज रोपण, गड्ढे खुदान, भरान व अन्य काय	10.0035 है0 (प्रस्तावक विभाग द्वारा मलवा निस्तारण योजना में चिन्हित स्थलों पर)	13780.07 घ0मी0 @ 157.50	2170361.02
2	वनस्पतिक चैकडैम का निर्माण	—	—	—
3	केट वायर चैकडैम का निर्माण	—	—	—
4	आर.आर. ड्राई का निर्माण	—	—	—
5	दीवाल/अन्य अभियांत्रिक संरचनाओं का निर्माण	—	—	—
6	उचित प्रजातियों का रोपण	—	—	—
	योग–		157.50	2170361.02

नोट : चयनित स्थान मैदानी क्षेत्र होने के कारण प्रस्तावित भूमि में से निकलने वाला मलवा 13780.07 घ0 मी0 का 40 प्रतिशत भाग 5512.02 घ0मी0 का प्रयोग गड्ढों के भरान एवं 60 प्रतिशत भाग 8268.05 घ0 मी0 का प्रयोग बुनियाद भरान में किया जायेगा। अतः प्रस्तावित भूमि से निकलने वाला मलवा बाहर नहीं फेंका जायेगा।

वन क्षेत्राधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
हल्द्वानी वन क्षेत्र
कराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
कराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी

प्रयोक्ता एजेन्सी

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

मण्डी समिति हल्द्वानी के विस्तारीकरण के 10.0035 हे0 भूमि में बुनियाद एवं अन्य खुदाई से निकली हुई मिट्टी/मलवा की मात्रा का विवरण				
Ground Coverage				
S.No	Description of work	Quantity of 1 No. Earth Work	No.	Total Qty.
1	Type-C Shops (416 No)	24.60	416	10233.60
2	Kissan Bazzar(22 No)	5.64	26	146.64
3	Open Shed Auction Plateform	114.30	6	685.80
4	Office Building	152.02	1	152.02
5	Farmers House	174.69	1	174.69
6	Check Post (03 No)	15.90	3	47.70
7	Public Toilets (02 No)	59.56	2	119.12
8	Godwoen (03 No. 200 Mt Each)	45.85	3	137.55
9	Cold Storage (200 MT)	35.87	1	35.87
10	Cold Storage (400 MT)	71.48	1	71.48
11	Pump House	11.84	1	11.84
12	Boundary wall	1954.03	1	1954.03
13	Gates	9.73	1	9.73
	Total:-			13780.07

40 % of total quantity 13780.07 i.e. 5512.02 Cum @Rs. 157.50 per cum. Rs. 868143.15 in use to gap filling of foundations trenches. 868143.15

60 % of total Quantity 13780.07 i.e. 8268.03 Cum @ Rs. 157.50 Per cum Rs. 1302214.72 in use to filling of Plinth 1302214.72

सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

(डी० एस० भण्डारी)
सहायक अभियन्ता
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
निर्माण खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

उप महाप्रबन्धक (तकनीकी)
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड
निर्माण खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)

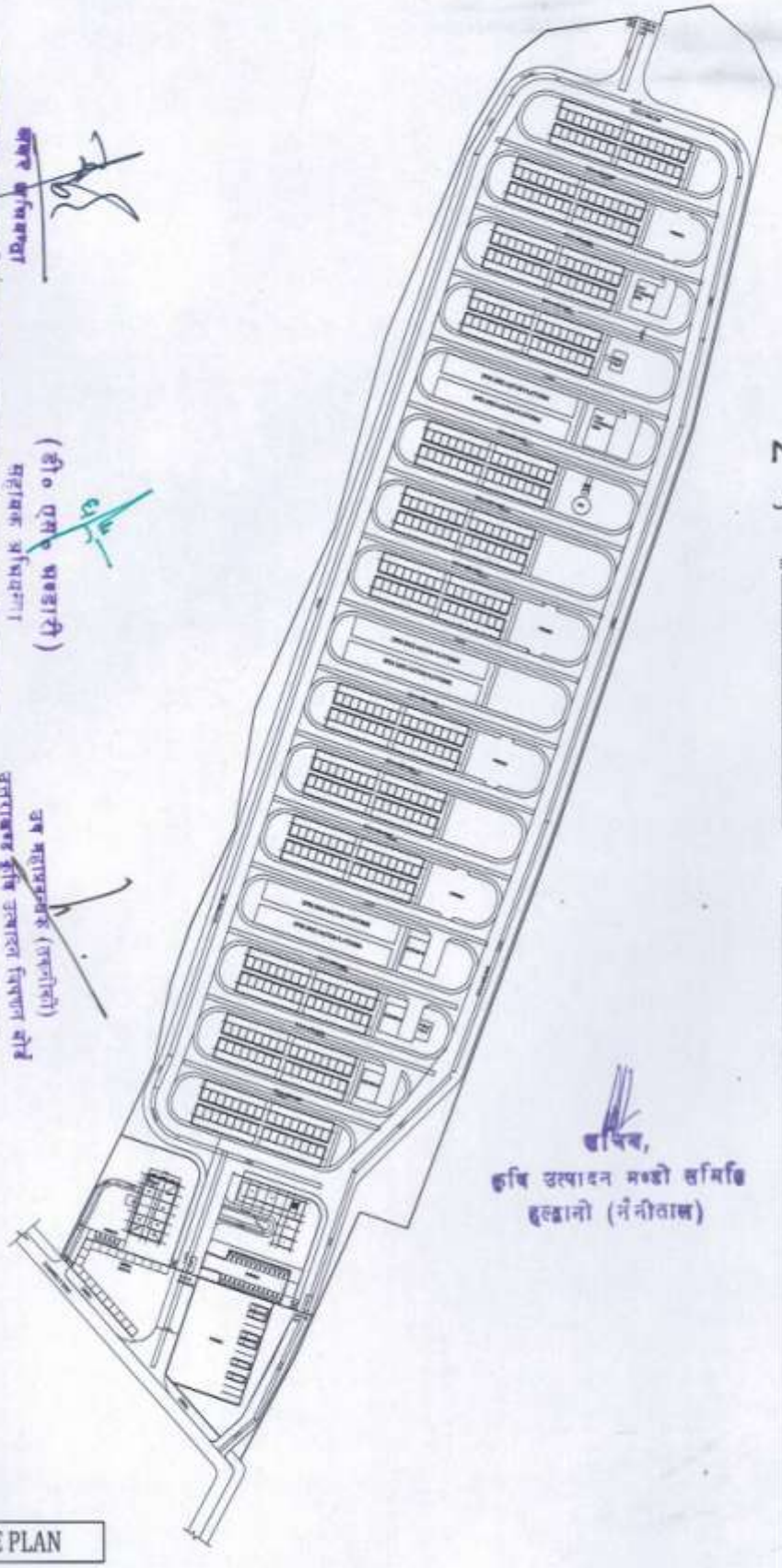

MUCK DISPOSAL SCHEME

BUILT UP AREA

S.No	Description of Work	Units	Total Area
01	Shops type-c	416 no	16733.6 sqm
02	Kissan Bazar	22 no	398.9 sqm
03	Office Building	01 no	515.0 sqm
04	Farmer's rest house	01 no	750.0 sqm
05	Public toilet	02 no	140.4 sqm
06	Godown 200 MT	03 no	406.5 sqm
07	Cold Storage 200 MT	01 no	135.5 sqm
08	Cold Storage 400 MT	01 no	271.0 sqm
	TOTAL		19350.9 Sqm

GROUND COVERAGE AREA

S.No	Description of Work	Units	Total Area
01	Shops type-c	416 no	16733.6 sqm
02	Kissan Bazar	22 no	398.9 sqm
03	Open shed auction platform	06 no	4200.0 sqm
04	Office Building	01 no	515.0 sqm
05	Farmer's rest house	01 no	450.0 sqm
06	Check Post	03 no	120.0 sqm
07	Public toilet	02 no	140.4 sqm
08	Godown 200 MT	03 no	406.5 sqm
09	Cold Storage 200 MT	01 no	135.5 sqm
10	Cold Storage 400 MT	01 no	271.0 sqm
11	Pump Room	01 no	12.8 sqm
12	Road Area		
	12 m wide Road		19255.3 sqm
	08 m wide Road		17173.5 sqm
	3.6 m wide Road		432.0 sqm
13	Footpath Area		9046.7 sqm
14	Parking area		6799.2 sqm
15	Landscape area		23944.6 sqm
	Total		100035.0 sqm
16	Boundary wall Length		1670.80 mt
17	Gates	03 no	
18	Weigh Bridge	02 no	
19	Over Head tank (100000 ltr)	01 no	

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

SITE PLAN

NORTH

PROPOSED MANDI @ HALDWANI

परियोजना का नाम :– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण का कार्य।

वन भूमि का औचित्य

(आपत्ति सख्या– 03)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी (नैनीताल) का नवीन मण्डी परिसर बरेली रोड पर 43.59 एकड़ भूमि में निर्मित है। हल्द्वानी कुमाऊँ क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक केन्द्र है। जहां पर पर्वतीय जनपद नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली तथा उत्तरकाशी के उत्पादकों के साथ–साथ मैदानी जनपदों के कृषकों द्वारा फल सब्जियां विक्रय हेतु लायी जाती है। बिक्री के पश्चात पर्वतीय क्षेत्र की प्रमुख फल सब्जियां सेव, आम, नाशपती, खुमानी, पुलम, आड़ू, आलू, गोभी एवं टमाटर इत्यादि दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं देश के अन्य राज्यों के साथ–साथ देश से बाहर (पाकिस्तान एवं बंगलादेश) भी भेजी जाती है। पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्र के किसानों, व्यापारियों एवं कृषि कार्य करने वाले समस्त व्यक्तियों की आजीविका का प्रमुख केन्द्र भी हल्द्वानी मण्डी ही है।

पर्वतीय जनपदों में पैदा होने वाले फल एवं सब्जियों के विपणन की सुविधा प्रदान करने हेतु वर्ष 1982 में नवीन मण्डी स्थल की स्थापना की गयी, जिसके लिए तत्समय 43.59 एकड़ भूमि क्रय की गयी। उक्त भूमि में फल एवं सब्जी मण्डी तथा खाद्यान्न मण्डी विकसित की गयी। सब्ज़ी मण्डी में ए श्रेणी की 67 (सड़सठ), बी श्रेणी की 61 (इकसठ) तथा सी श्रेणी की 173 (एक सौ तिहत्तर) दुकानें तथा 02 (दो) नीलामी चबूतरे निर्मित कराये गये। इसी प्रकार गल्ला मण्डी में ए श्रेणी की 20 (बीस), बी श्रेणी की 34 (चौंतीस) एवं सी श्रेणी की 52 (बावन) दुकानें तथा 01 (एक) नीलामी चबूतरा, 81 (इक्कासी) व्यापारिक गोदाम निर्मित कराये गये है। नवीन मण्डी परिसर में 01 (एक) कार्यालय भवन, 37 (सैंतीस) आवासीय भवन, 03 (तीन) बैंक भवन, 01 (एक) अतिथि विश्राम गृह, 01 (एक) कृषक विश्राम गृह, 03 (तीन) चैक पोस्ट, 15 (पन्द्रह) कैन्टीनें, 04 (चार) सार्वजनिक शौचालय, 04 (चार) पी0सी0ओ0, 22 (बाईस) किसान बाजार की दुकानें, 01 (एक) मिल्क पार्लर तथा 01 (एक) नाई की दुकान का निर्माण कराया गया है।

वर्तमान में नवीन मण्डी स्थल में फल एवं सब्जियों के 569 (पांच सौ उनसत्तर) थोक व्यापारी/आढ़तिया तथा खाद्यान्न के 206 (दो सौ छः) थोक/व्यापारियों द्वारा कारोबार किया जाता है। वर्ष 2005 के पश्चात नवीन मण्डी स्थल में कारोबार करने हेतु कोई भी स्थान उपलब्ध न होने के कारण 367 (तीन सौ सड़सठ) व्यापारियों को दुकानें आवंटित नहीं की जा सकी है। जिस कारण नये कारोबारियों को व्यापार करने हेतु आवश्यक सुख–सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा किसानों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। चूंकि नवीन मण्डी स्थल में दुकानों के निर्माण हेतु बिल्कुल भी भूमि उपलब्ध नही है। जिस कारण उक्त व्यापारियों के लिए दुकानों का निर्माण किया जाना भी सम्भव नही है। वर्ष 1982 की आवश्यकतानुसार तत्समय मण्डी का निर्माण कराया गया था। तब से 33 वर्षों की अवधि में जनसंख्या में काफी वृद्धि होने के फलस्वरूप व्यापार

में काफी बृद्धि हो गई है तथा यातायात के संसाधनों में बृद्धि होने के कारण दूरस्थ क्षेत्रों के किसानों द्वारा भी अपनी उपज बिक्री हेतु हल्द्वानी मण्डी में ही लायी जाती है। पूर्व में निर्मित मण्डी स्थल में वर्तमान की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थान की अत्यधिक कमी हो गई है। कारोबार हेतु नवीन मण्डी स्थल में स्थान उपलब्ध न हो पाने के कारण वर्ष 2005 के पश्चात मण्डी समिति द्वारा फल–सब्जी के कोई भी नये लाइसेंस जारी नही किये गये हैं। चूंकि कुमाऊँ क्षेत्र में काफी अधिक मात्रा में फल एवं सब्जियां पैदा होती हैं, परन्तु नये लाइसेंस जारी न हो पाने के कारण मण्डी में व्यापार का भी विस्तार नही हो पा रहा है। जिससे जहां एक ओर किसानों को विपणन व्यवस्था का पर्याप्त लाभ नही मिल पा रहा है, वहीं दूसरी ओर मण्डी स्थल में पर्याप्त स्थान न होने के कारण फल एवं सब्जी के नये व्यवसायी भी कारोबार नहीं कर पा रहे हैं।

कृषि को बढ़ावा देने के लिए सुदृण विपणन व्यवस्था हेतु वर्तमान में निर्मित मण्डी परिसर के विस्तारीकरण की नितान्त आवश्यकता है, जिसमें आधुनिक सुख–सुविधाओं से युक्त मण्डी का निर्माण किया जाना आवश्यक है। चूँकि अभी तक हल्द्वानी के आस–पास कोई कोल्ड स्टोर निर्मित नहीं है। उत्तराखण्ड में पैदा होने वाले फल एवं सब्जियों के संरक्षण हेतु कोल्ड स्टोर एवं भण्डारगृहों का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा फूलों की खेती को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिस कारण उत्तराखण्ड के कृषकों द्वारा फूलों की खेती में विशेष रूचि ली जा रही है। फूलों की समुचित विपणन व्यवस्था न होने के कारण कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जिस कारण फूल उत्पादकों को अपना उत्पाद प्रदेश से बाहर की मण्डियों में ले जाना पड़ता है। विस्तारीकरण हेतु चयनित मण्डी में फूलों की मण्डी विकसित किये जाने का भी प्राविधान किया गया है। मण्डी समिति को विस्तारीकरण हेतु भूमि उपलब्ध हो जाने पर चयनित भूमि में फल–सब्जियों की आधुनिक मण्डी के निर्माण के साथ–साथ वातानुकूलित भण्डार गृह, आधुनिक गोदाम, सुसज्जित फूलों की मण्डी एवं मछली मण्डी का निर्माण कराया जायेगा। जिससे कृषक, व्यापारी तथा आम जनता भी सीधे–सीधे लाभान्वित होंगे। चूँकि उत्तराखण्ड एक कृषि प्रधान प्रदेश है, यहाँ पर किसानों को अपने उत्पादों के विपणन की सुख–सुविधा मिलने पर राज्य के किसान आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होंगे तथा सम्पूर्ण राज्य का समग्र विकास होगा।

यहां पर यह भी विशेष रूप से उल्लेख करना है कि उत्तराखण्ड राज्य का कुमाऊँ क्षेत्र दैवीय आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्र है। आपात स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न एवं फल–सब्जी की तत्काल आपूर्ति हेतु हल्द्वानी मण्डी में भण्डारण हेतु गोदामों का निर्माण कराया जाना भी नितान्त आवश्यक है, जिससे कि आवश्यकता होने पर प्रभावित क्षेत्रो में तत्काल खाद्यान्न एवं फल–सब्जी इत्यादि की आपूर्ति की जा सके।

उपरोक्त आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में मण्डी विस्तार की अत्यन्त आवश्यकता है। मण्डी विस्तार से जहाँ उत्तराखण्ड तथा अन्य राज्यों के किसानों को प्रत्यक्ष लाभ

होगा वहीं व्यापारियों को भी कारोबार के नये अवसर प्राप्त होंगे, जिससे कि कृषि के क्षेत्र में निरन्तर बृद्धि होगी। मण्डी विस्तारीकरण से प्रदेश की लगभग 45 लाख से अधिक आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगी। किसानों को उनकी उपज का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होगा। व्यापारियों को कारोबार करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। वहीं कृषि कार्य से जुड़े हुए अन्य व्यक्तियों को रोजगार के समुचित अवसर प्राप्त होंगे तथा आम उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर फल–सब्जियाँ उपलब्ध होंगी। मण्डी में व्यापारियों की अधिक संख्या होने के फलस्वरूप मण्डी में आने वाले उत्पादकों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होगा। इसके साथ–साथ मण्डी में कारोबार बढ़ने पर समिति की आय में भी वृद्धि होगी, जिससे मण्डी क्षेत्र में अधिक विकास कार्य कराये जा सकेंगे।

यहाँ पर यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि मण्डी समिति हल्द्वानी द्वारा वर्ष 2005 से निरन्तर मण्डी के विस्तारीकरण हेतु निजी एवं अन्य सिविल भूमि की तलाश की जा रही है। परन्तु हल्द्वानी के लगभग 15.00 कि0मी0 की परिधि में कहीं भी मण्डी की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई। हल्द्वानी के आस–पास स्थित रानीबाग, गौलापार, लालकुआँ तथा कालाढुंगी क्षेत्रों में अधिकांशतः किसान लघु कृषक है। अधिकांशतः कृषकों द्वारा अपनी जमीन बेच दी गई है। जिनमें वर्तमान में आवासीय कालोनियों का निर्माण हो चुका है। इस प्रकार वर्तमान में कहीं भी कोई भी ऐसी निजी एवं अन्य भूमि उपलब्ध नहीं है, जो मण्डी की आवश्यकता के अनुसार पर्याप्त एवं उपयुक्त हो।

जनपद नैनीताल का कुल भौगोलिक क्षेत्र 4,25,100 हेक्टेयर है, जिसमें से 2,98,236 हेक्टेयर भूमि अर्थात 70 प्रतिशत क्षेत्र वन भूमि है। मण्डी विस्तारीकरण हेतु चयनित वन भूमि हल्द्वानी नगर निगम एवं लालकुआँ नगर पालिका के बीच तथा रामपुर एवं बरेली राजमार्ग के मध्य में स्थित है। जो पूर्व से निर्मित नवीन मण्डी स्थल से 800 मीटर की दूरी पर स्थित है। उक्त वन भूमि के चारों ओर घनी आवादी है तथा आवासीय कालोनियाँ निर्मित है। अनेकों बार उक्त भूमि से लगे ग्रामवासियों द्वारा चयनित वन भूमि पर अतिक्रमण का भी प्रयास किया जाता रहा है। जिसे समय–समय पर वन विभाग द्वारा बल पूर्वक हटाया गया है। भविष्य में भी उक्त भूमि में अतिक्रमण की संभावना है, क्योंकि चयनित वन भूमि से सटी भूमि में चारों ओर आबादी होने के कारण धीरे–धीरे लोगों द्वारा अतिक्रमण किये जाने का पुनः प्रयास किया जा सकता है। उक्त भूमि पर मण्डी स्थल का निर्माण कराये जाने पर आवागमन अधिक होने तथा उसमें चारों ओर से चाहरदीवारी का निर्माण हो जाने के पश्चात शेष वन भूमि में अतिक्रमण की संभावना नहीं होगी।

अथक प्रयास करने के उपरान्त भी निजी एवं अन्य भूमि उपलब्ध न होने पर मण्डी समिति द्वारा चयनित वन भूमि को मण्डी के विस्तारीकरण हेतु उपयुक्त पाया गया, क्योंकि चयनित वन भूमि वर्तमान में स्थित मण्डी के पास ट्रांसपोर्टनगर के पास वायपास रोड पर स्थित है जो कि मण्डी की आवश्यकतानुसार उपयुक्त है। चयनित वन भूमि के आस–पास वन विभाग द्वारा इंदिरा गांधी मुक्त

विश्वविद्यालय एवं अन्य विभागो को भी वन भूमि आवंटित की गई है। चयनित वन भूमि मण्डी की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप भौगोलिक एवं व्यावसायिक दृष्टिकोण से सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि चयनित भूमि पूर्व से निर्मित नवीन मण्डी स्थल के पास स्थित होने के कारण मण्डी में आने वाले समस्त किसानों एवं व्यापारियों को मण्डी विस्तारीकरण का लाभ प्राप्त होगा। दोनों मण्डी परिसर आस–पास स्थित होने पर मण्डी में आने वाले समस्त कृषकों एवं व्यापारियों को कृषि उपजों के क्रय–विक्रय में भी सुविधा होगी।

मण्डी की आवश्यकतानुसार हल्द्वानी के आस–पास कहीं भी निजी एवं अन्य भूमि उपलब्ध न होने के कारण वर्तमान में चयनित वन भूमि ही मण्डी विस्तारीकरण हेतु एकमात्र ऐसा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है, जिस पर मण्डी के विस्तारीकरण का कार्य कराया जा सकता है। वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए ही मण्डी विस्तारीकरण हेतु न्यूनतम 10.0035 हैक्टेयर वन भूमि का चयन किया गया है। चयनित भूमि मण्डी विस्तारीकरण हेतु हस्तान्तरित होने पर उक्त भूमि में आधुनिक मण्डी का निर्माण होने से सम्पूर्ण क्षेत्र का विकास होने के साथ–साथ राज्य के लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर भी मिलेंगे, जिससे सम्पूर्ण राज्य का विकास होगा।

(विनोद कुमार लोहुमी)
सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र–22.2
आपत्ति संख्या– 04

Annexure-VI (C)

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण कार्य

Parameter for Evaluation of Benefit, notwithstanding loss of Forests
Nature of Proposal :-

Sl.no.	Parameters Roads	Tr. lines & Raliway line
1	2	3
1	Increase in productivity attributable to the specific project.	प्रस्तावित भूमि में मण्डी विस्तारीकरण के फलस्वरूप कृषकों को विपणन की सुविधा उपलब्ध होगी। परियोजना से कृषि क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त साधन सुलभ होंगे। जिससे अधिक संख्या में किसान कृषि कार्य करने हेतु प्रेरित होंगे। परियोजना में दुकानों के निर्माण से व्यापारियों की अधिक संख्या होने तथा नये कारोबारियों के जुड़ने से मण्डी में अधिक संख्या में किसान अपने उत्पादों को बिक्री हेतु लायेंगे। जिससे उन्हें अधिकतम प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होगा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि होने के कारण मूल्य वृद्धि में नियंत्रण होगा तथा कृषि सम्बन्धी व्यवसायों में भी पर्याप्त वृद्धि होगी।
2	Benefits to economy	उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य है। प्रस्तावित भूमि में कृषि उत्पादों के क्रय–विक्रय हेतु व्यापारिक दुकानों, किसान बाजार की दुकानों, शीत गृह, कैंटीनों, मछली बाजार, फूलों की मण्डी एवं नीलामी शैडों आदि के निर्माण से क्षेत्र के किसान अपनी उपज को अधिक मात्रा में बिक्री हेतु मण्डी परिसर में लायेंगे। कृषि कार्य से जुड़े हुए अन्य लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे तथा आम उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर फल–सब्जियां प्राप्त होंगी, व्यापारियों को कारोबार करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलेगा। मण्डी में व्यापारियों की अधिक संख्या होने तथा अधिक संख्या में किसानों के मण्डी में आने से उत्पादकों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होगा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। **इसके साथ ही मण्डी का विस्तारीकरण होने पर समिति को किराये के रूप में रू0 1.50 करोड़, मण्डी शुल्क के रूप में रू0 8.00 करोड़ एवं विकास सैस के रूप में रू0 2.00 करोड़ कुल रू0 11.50 करोड़ की वार्षिक आय भी प्राप्त होगी।** जिससे विकास कार्यों हेतु धनराशि उपलब्ध होगी। जिससे क्षेत्र में विकास कार्य कराये जा सकेंगे। उपरोक्त कार्यों से उत्तराखण्ड राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।
3	No. of population benefited	लगभग 45 लाख लोग लाभान्वित होंगे।
4	Employment potential.	लगभग 8 हजार लोगों को परोक्ष एवं अपरोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा।

5	Cost of acquisition of facility on non Forest land wherever feasible.	गैर वन भूमि उपलब्ध नही है।
6	Loss of (a) agricuitural & (b) animal, husbandry production due to diversion of forest land.	चूंकि उक्त वन भूमि बंजर है। जिसमें चारा इत्यादि उत्पन्न नहीं होता है। अतः परियोजना हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली उक्त वन भूमि में किसी भी प्रकार के कृषि उत्पादों की क्षति नहीं होगी। साथ ही परियोजना से पशुपालन तथा कृषि कर्म से जुड़े व्यक्तियों को भी कोई हानि नहीं होगी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि के लिए समिति द्वारा जो धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी, उसमें चारा प्रजाति के पौधों के रोपण का भी प्राविधान किया जायेगा।
7	7 Cost of rehabilitating the displaced persons as different from compensatory amounts given for displacement.	परियोजना हेतु चयनित वन भूमि चारों ओर से आबादी क्षेत्र से घिरी हुई है। चयनित वन भूमि में कोई भी व्यक्ति अथवा परिवार नहीं बसा है। अतः परियोजना के निर्माण से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं हो रहा है।
8	Cost of supply of free fuel-wood to workers residing in or near forest area during the period of construction.	परियोजना में कार्य करने वाले श्रमिकों को वन निगम से क्रय कर जलौनी लकड़ी अथवा मिट्टी का तेल उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रयोक्ता एजेन्सी

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र–22

Cost Benefit Ratio Chart

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण कार्य।

Block:- Haldwani **District:- Nainital**

SL. No.	Particulars	Amount in lakhs	Remark
	Total cost Investment incurred		
(A)	Construction Cost of the Project	8026.57 Lac	
(B)	N.P.V. Amount to be deposited @ 7.30 lakh /Ha	73.03Lac	
(D)	Substitule/Alternative Planlation Cost to be Deposited:- Lumpsum	28.61 Lac	
	Total	8128.21Lac	
2	Benefits:- Benefits from taking age of Project as 50 Years	2500 Lac	चूंकि उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों का प्रमुख व्यवसाय कृषि कार्य है। अतः प्रस्तावित भूमि में कृषि उत्पादों के कय–विकय हेतु व्यापारिक दुकानों, किसान बाजार की दुकानों, शीत गृह, कैंटीनों, मछली बाजार, फूलों की मण्डी एवं नीलाम शैडों आदि के निर्माण से क्षेत्र के किसान अपनी उपज को अधिक मात्रा में विक्री हेतु मण्डी परिसर में लायेंगे, जिससे उन्हें उपज का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होगा। वहीं कृषि कार्य से जुड़े हुए अन्य लोगों को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे तथा आम उपभोक्ताओं को भी उचित मूल्य पर फल–सब्जियां प्राप्त होंगी। व्यापारियों को कारोबार करने के लिए पर्याप्त स्थान मिलेगा। मण्डी में व्यापारियों की अधिक संख्या होने तथा अधिक संख्या में किसानों के मण्डी में आने से उत्पादकों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य प्राप्त होगा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। इसके साथ–साथ

			मण्डी में कारोबार बढ़ने पर समिति की आय में वृद्धि होगी। जिससे क्षेत्र में विकास कार्य कराये जा सकेंगे। इन सबसे उत्तराखण्ड राज्य की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।
3	Economic Benefits-Market Development Taking	3000 Lac	
(A)	Direct Employment of Labours-	**880000.00**	
(B)	Employment Generation Due to other activities	**660000.00**	
	Total	**1540000.00**	
	Therefore construction of Economically Viable and social beneficial.		

प्रयोक्ता एजेन्सी

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रपत्र–42

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण का कार्य

आपत्ति संख्या – 5 एवं 6

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–02–2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित 10.0035 है0 वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है :–

1. ईको–क्लास श्रेणी	–	I
2. हरियाली का घनत्व	–	0.20 प्रतिशत
3. एन0पी0वी0 की दर प्रति हे0	–	रू0 7,30,000.00
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल	–	10.0035 है0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि–		रू0 73,02,555.00

वन क्षेत्राधिकारी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी उप प्रभाग
नैनीताल वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी

अनापत्ति सं०-07

E-Mail

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव), उत्तराखंड

5- चन्द्रबनी, पोस्ट मोहब्बेवाला, देहरादून (उत्तराखंड) फोन/फैक्स – 0135– 2644691 email : cwlwua@yahoo.co.in

पत्र संख्या शि0– 88 /12–1 , दिनांक, शिविर, देहरादून, जुलाई 09 . 2015

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षक, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी, देहरादून।

विषयः– वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भः– सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी(नैनीताल) की पत्र संख्या कृ0उ0म0स0/मण्डी विस्ता0/2015–281 दिनांक 03–06–2015

महोदय,

संदर्भ में अंकित पत्र के कम में प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी की पत्र संख्या 5096/12–1(2) दिनांक 25–06–2015 द्वारा की प्रस्तुत की गयी आख्या/संस्तुति के आधार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्र दिनांक 13–05–2015 के बिन्दु संख्या–7 पर इस कार्यालय की सहमति/अनापत्ति प्रकट की जाती है।

भवदीय,

09/07/15

(डी0वी0एस0खाती)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

संख्या 88 (1)/ दिनांकित।

प्रतिलिपि– प्रभागीय वनाधिकारी, तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी को उनके उक्त वर्णित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड हल्द्वानी (नैनीताल) को उनके पत्रांक कृ0उ0म0स0/मण्डी विस्ता0/2015–281 दिनांक 03–06–2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

09/07/15

(डी0वी0एस0खाती)
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड

कार्यालय–प्रभागीय वनाधिकारी तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्र सं. 5096 / 12-1(2) हल्द्वानी दिनांक, 25/06/2015

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)
उत्तराखण्ड, 5–चन्द्रवनी पो0 मोहब्बेवाला,
देहरादून।

विषयः– वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपकी पत्र सं0 3389 / 12–1 दिनांक 18.06.2015।

महोदय,

सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रस्तावित स्थल हाथी संरक्षित का भाग है क्योंकि आरक्षित वन भूमि हल्द्वानी शहर के मध्य तथा इसके चारो ओर आबादी व मुख्य सड़के है जिससे उक्त स्थल पर हाथी व अन्य वन्य जीवों का अध्यासन व आवगमन बिल्कुल नही होता है। चारो ओर आबादी के कारण प्रस्तावित भूमि में अतिक्रमण की आशंका बनी रहती हैं। वन भूमि पर अतिक्रमण की आशंका को देखते हुए वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है। अतः उक्त भूमि को सचिव कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी को हस्तान्तरण हेतु अपने स्तर से अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

पत्रांक....................../ ....तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त कर प्रमुख वन संरक्षक वन्य जीव उत्तराखण्ड, देहरादून से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

आपत्ति संख्या 08

प्रपत्र– 2.1

भाग– ।।

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या.....

7. परियोजना/स्कीम का स्थान

i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड ।
ii)	जिला	नैनीताल।
iii)	वन प्रभाग	तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी।
iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में	10.0035 है0
v)	वन की कानूनी स्थिति	आरक्षित वन भूमि।
vi)	हरियाली का घनत्व	0.20 प्रतिशत
vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0 – 8 मी0 पर परिगणना भी संलग्न किए जाए ।	संलग्न है।
viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	उल्लिखित क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है और भूक्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी ।	वन सीमा के अन्तर्गत (मानचित्र संलग्न है)
x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयॉं अनुबन्धित की जाए)	उत्तराखण्ड शासन वन एवं पर्यावरण अनुभाग –2 सं0 1777/1(2) व0ग्रा0 वि0/2002–19 (9)/2002 दिनांक 28.10.2002 के द्वारा उक्त क्षेत्र हाथी रिजर्व के अन्तर्गत घोषित किया गया है। उक्त क्षेत्र हाथी कोरीडोर नहीं है। मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड की सहमति/अनापत्ति संलग्न है।
xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ /संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियॉं पाई जाती है यदि हां/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है, यदि हॉं तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, या	नहीं।

8– प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं, तो जांचे गए विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है। — न्यूनतम है ।

9– क्या अधिनियम के उल्लघंन में कोई कार्य किया गया है (हॉं/नही) यदि हॉं, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का — नहीं।

ब्यौरा दें तथा उल्लघंन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।

10– प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौराः–

i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू–खण्ड का आकार।	संलग्न है। (1 पैच)
ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र, आस–पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	संलग्न है।
iii	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण, कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	संलग्न है।
iv	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	संलग्न है।
v	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण–पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)।	संलग्न है।

11– जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिर्पोट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) — संलग्न है।

12– प्रभाग/जिला प्रोफाइल

i.	जिला का भौगोलिक क्षेत्र।	425100 है0 ।
ii.	जिला का वन क्षेत्र।	298236 है0
iii.	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र।	567 मामलों में 7332.6 है0।
iv.	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिकूल वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि पर	8349.7 है0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	499.2 है0
v.	दिनांक 28.07.2015 तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति	
(क)	वन भूमि पर	5695.2 है0
(ख)	वनेत्तर भूमि पर	499.2 है0

13– प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश। — क्षेत्र विकास हेतु वन भूमि हस्तांतरण की संस्तुति की जाती है।

दिनांक 03.09.2015

स्थान– हल्द्वानी

हस्ताक्षर

सरकारी मोहर

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण का कार्य।

अन्य वैकल्पिक भूमि निरस्त किये जाने का कारण

(आपत्ति सख्या–9)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी (नैनीताल) के विस्तारीकरण हेतु मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2005 से निरन्तर निजी एवं अन्य सिविल भूमि की तलाश की जा रही है। परन्तु काफी प्रयास करने के उपरान्त भी मण्डी की आवश्यकतानुसार कहीं भी पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी। हल्द्वानी तथा आस–पास के क्षेत्र में अधिकांशतः भू–स्वामी छोटी जोत के किसान है। विगत वर्षों में हल्द्वानी का अत्यन्त विकास हुआ है। लोगों द्वारा हल्द्वानी एवं आस–पास के क्षेत्र की अधिकांश निजी भूमि कय कर उसमें आवासीय भवन बना लिये गये हैं। वर्तमान में हल्द्वानी के आस–पास लगभग 10 कि0मी0 के क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसी निजी एवं अन्य सिविल भूमि उपलब्ध नहीं है, जो कि मण्डी के विस्तारीकरण हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हो।

फल एवं सब्जी के कारोबार में निरन्तर वृद्धि होने के कारण विगत काफी लम्बे समय से मण्डी के विस्तारीकरण की आवश्यकता महसूस हो रही है। जिस कारण मण्डी के विस्तारीकरण की योजना प्रस्तावित की गयी है। वर्तमान समय में इसकी नितान्त आवश्यकता भी है। कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी द्वारा वर्ष 2005 से मण्डी विस्तारीकरण हेतु निजी भूमि अथवा अन्य सिविल भूमि प्राप्त करने हेतु काफी प्रयास किये गये, परन्तु मण्डी की आवश्यकतानुसार कहीं भी पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि नहीं मिल पायी। इस कारण एक मात्र विकल्प के रूप में ही वन भूमि का चयन किया गया है। विस्तारीकरण हेतु चयनित वन भूमि के चारों ओर आवासीय कालोनियां निर्मित है। चयनित वन भूमि वर्तमान मण्डी परिसर के पास में ही स्थित है। अथक प्रयास करने के उपरान्त भी निजी एवं अन्य सिविल भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण मण्डी के विस्तारीकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही वन भूमि का चयन किया गया है।

इस प्रकार वर्तमान में हल्द्वानी के आस–पास के क्षेत्र में मण्डी के विस्तारीकरण हेतु चयनित वन भूमि ही एक मात्र ऐसा विकल्प है जो मण्डी के विस्तारीकरण हेतु सर्वथा उपयुक्त एवं पर्याप्त है, जिस पर मण्डी के विस्तारीकरण का कार्य सुगमता से कराया जा सकता है।

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

तहसीलदार
हल्द्वानी (नैनीताल)

उप जिलाधिकारी
हल्द्वानी.

जिलाधिकारी
नैनीताल.

उपाधित संख्या - 10

डिजिटल मैप :– जनपद नैनीताल में हल्द्वानी क्षेत्र के अर्न्तगत कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु जनपद पिथौरागढ में मुनस्यारी क्षेत्रार्न्तगत ग्राम मटेना में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल – 20.007 है0)

Legend

- Proposed Plantation Matena Civil
- Reserve Forest Area
- Reserve Forest Boundary
- Forest Range Boundary
- Forest Division Boundary

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

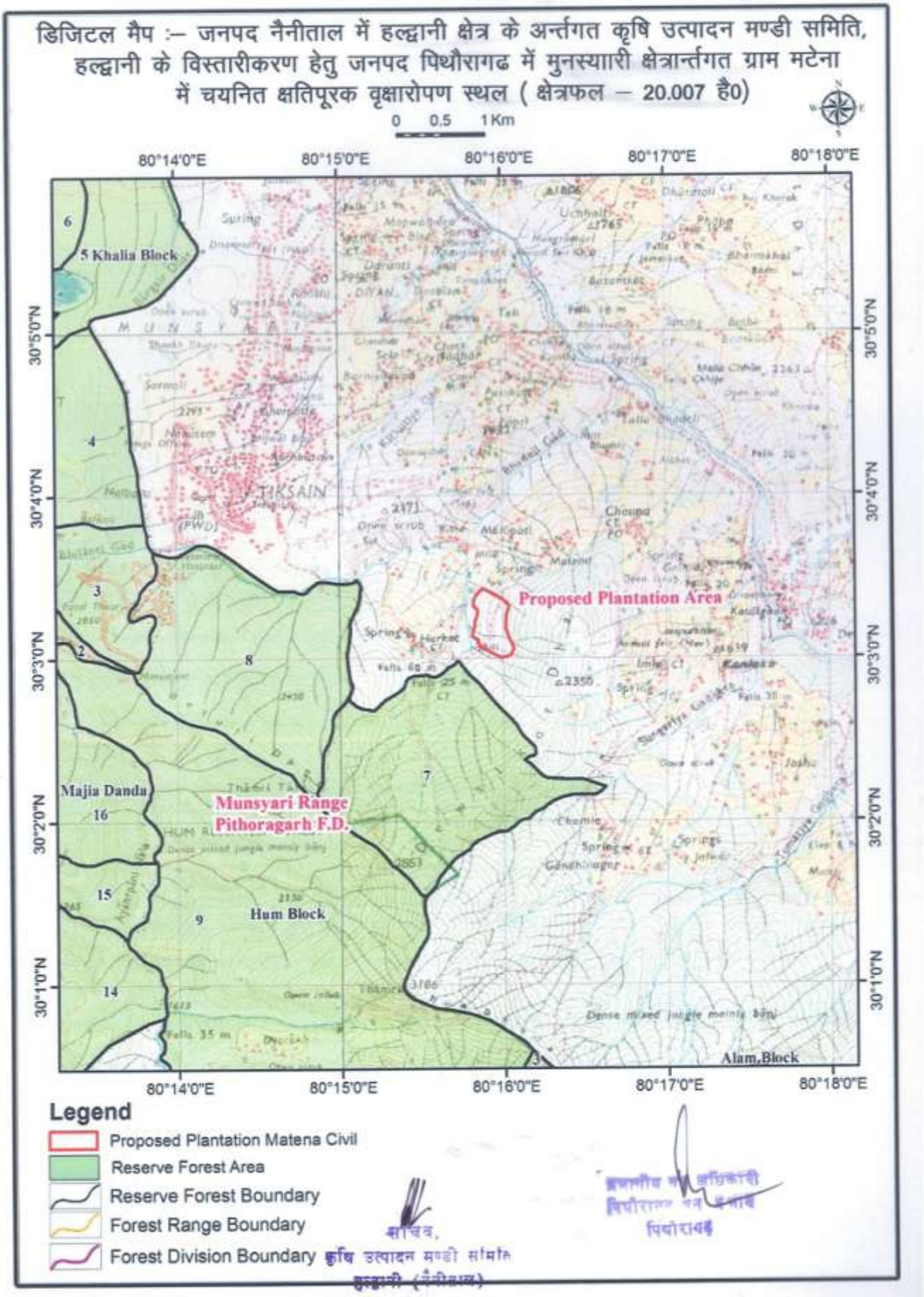

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

डिजिटल मैप :– जनपद नैनीताल में हल्द्वानी क्षेत्र के अर्न्तगत कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु जनपद पिथौरागढ़ में मुनस्यारी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मटेना में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल – 20.007 है0)

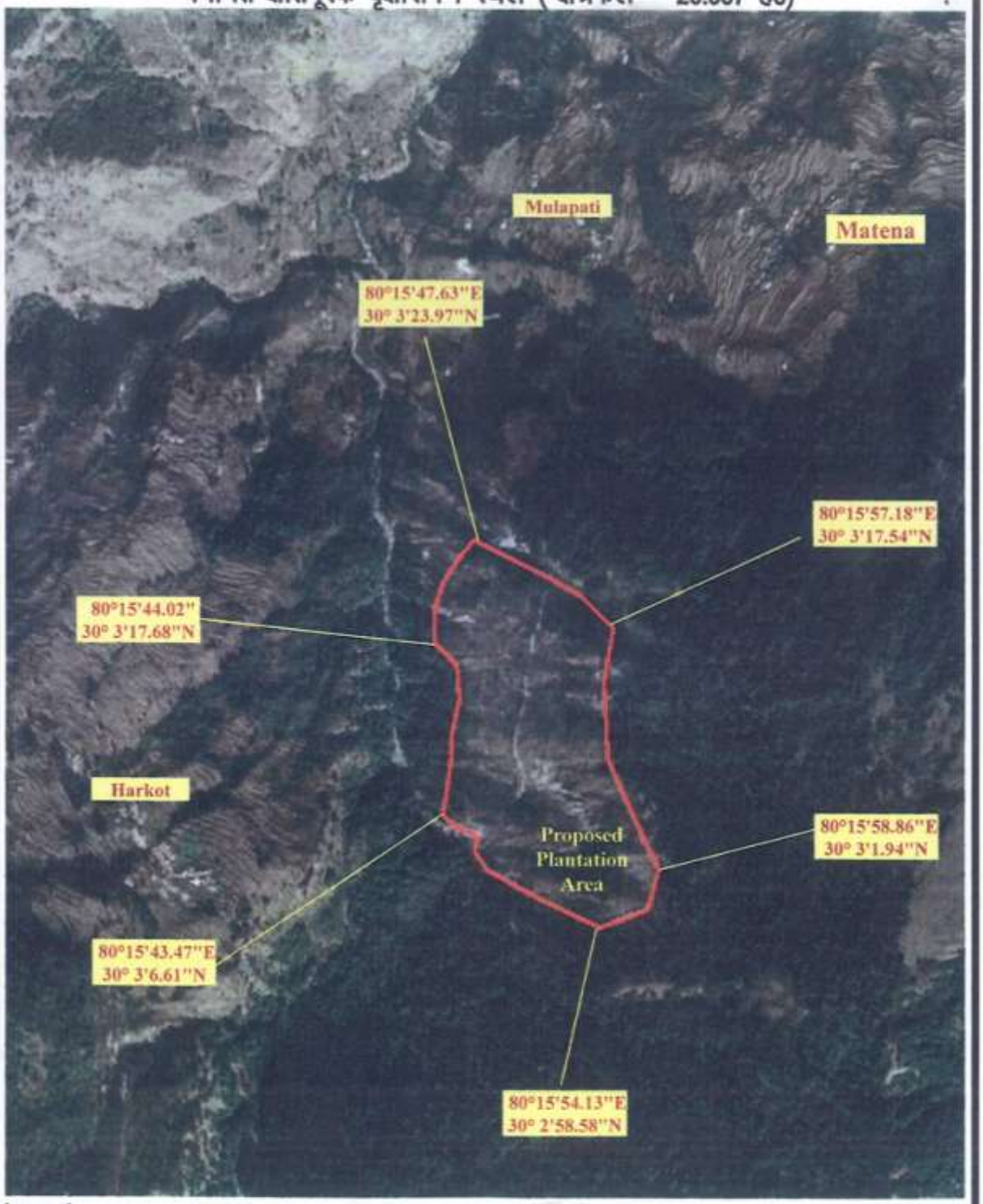

Legend

Proposed Plantation Matena Civil

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

क्षेत्रीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

परियोजना का नाम व स्थल–जनपद नैनीताल के अर्न्तगत कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु पस्तावित 10.0035 है वन भूमि के बदले 20.0070है0

वृक्षारोपण स्थल का नाम– ग्राम मटेना सिविल 20.0070(मुनस्यारी राजि)

प्रस्तावित किये जाने वाले पौधो की संख्या– 2000 प्रति है0 पौधे

क0 सं0	कार्य का नाम	मात्रा	इकाई	इकाई दर (रू0)	प्रति	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	सर्वे एवं सीमाकंन	1	है0	97.00	है0	97.00
2	क्षेत्र की सफाई(झाडी कटान आदि)	1	है0	584.00	है0	584.00
3	अग्रिम दीवाल बन्दी(फन्सिग) प्र0है0 84 घ0मी0 औसत	1	है0	26460.00	है0	26460.00
4	गडढे खुदान (.30x.30x.45)	2000	गड्डे	7.33	गड्डे	14660.00
5	निरीक्षण बटिया बनाना	1	है0	485.00	है0	485.00
6	पौधो की कीमत(प्रथम वर्ष)	2000	है0	5.89	है0	11772.00
7	अन्य व्यय जैसे यंत्र,सयन्त्र,औजार तेज करना वर्षा जल संग्रहण हेतु आवश्यकतानुसार गड्डे खोदना	0.5	है0	400.00	है0	400.00
8	प्रवेश सीढ़ी	10	है0	662.00	है0	662.00
9	जल संरक्षण कार्य	1.5	है0	7750.00	है0	7750.00
	योग प्रथम चरण					**62870.00**

द्वितीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	गडढे भरान कार्य(.30x.30x.45)	2000	गड्डे	115.00	गड्डे	2300.00
2	पौधो की कीमत	2000	पौध	1.15	पौध	2300.00
3	पौध ढुलान कार्य	2000	पौध	12780.0 0	पौध	12780.00
4	पौधारोपण व थालबंदी	2000	गड्डे	2.06	गड्डे	4120.00
5	निराई–गुडाई व मल्चिंग(दो बार)	2000	गड्डे	0.76x2	गड्डे	1520.00
6	खाद व दवा पर व्यय	2000	है0	4.20	है0	4.20
7	प्रथम वर्ष में वृक्ष या रोपण की देख–रेख व रख रखाव पर व्यय	1	है0	596/है0पौ0	है0	4768.00
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास,फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना प्रति है0	1	है0	350.00	है0	350.00
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी0 की पट्टी साफ करना	1	है0	225.00	है0	225.00
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणो को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रेशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों /समितियों को प्रोत्साहन देना। अ–प्रशिक्षण	1	है0	400.00	है0	400.00
	ब–प्रोत्साहन	1	है0	700.00	है0	200.00
9	अन्य व्यय साइन बोर्ड,पौध ढुलान हेतु टोकरी,सुतली बोरी आदि कय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने	1.50	है0		है0	700.00

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

	हेतु पोलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो–तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूटेशन आदि कार्य					
	योग द्वितीय चरण					**29667.20**

योग प्रथम व द्वितीय चरण **92537.20**

तृतीय चरण

1	2	3	4	5	6	7
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय से दशम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह एवं अभिसुरक्षा आदि कार्य	8 वर्ष	है0	7152.00	है0	57216.00
	योग तृतीय चरण					**149753.20**

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति है0 – परन्तु देय 143000/–
योजना निर्माण हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल
10.0035 है0 x 2 = 20.0070 = 2861001 =/ 00

रू0 अट्ठाइस लाख इकसठ हजार एक मात्र

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद नैनीताल के अन्तर्गत कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु प्रस्तावित प्रयुक्त होने वाली 10.0035 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुने अवनत वन भूमि ग्राम मटेना सिविल में 20.0070 है0 मुनस्यारी राजि अन्तर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त स्थल है। क्षेत्र का घनत्व .3 है।

वन क्षेत्राधिकारी
मुनस्यारी

प्रभागीय वनाधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम – कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण का कार्य

आपत्ति संख्या 11

10.0035 है0 भूमि में 20007 पौंधे लगाने का औचित्य

प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक संख्या : 89/3–5–2 दिनांक 06 जून, 2015 (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु संख्या 4 में दिये गये निर्देशों के अनुसार भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा निर्गत निर्देशों के कम में वन भूमि हस्तांतरण प्रकरणों में विभिन्न श्रेणियों के वृक्षारोपण हेतु 2000 पौंध प्रति हैक्टेयर का प्राविधान किया गया है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में ही कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु चयनित वन भूमि के आस–पास रिक्त/खाली स्थानों पर 2000 पौंध प्रति हैक्टेयर के अनुसार 10.0035 हैक्टेयर रिक्त/खाली स्थानों में 20007 पौंधे रोपित किये जाने हेतु प्राक्कलन (संलग्न) तैंयार किया गया है।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी प्रभाग
उ० कै० वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी

प्रपत्र–37

आपत्ति संख्या 11

परियोजना का नाम – कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण का कार्य
रिक्त पड़े स्थानों पर उचित प्रजातियों के वृक्षारोपण का प्राक्कलन
वृक्षारोपण योजना

वृक्षारोपण स्थल का नामः तल्ली हल्द्वानी ब्लाक या आस–पास रिक्त/खाली पड़े स्थानों पर

क्षेत्रफल : 10.0035 है0
रोपित किये जाने वाले पौधो की संख्या 20007

क0 सं0	कार्य का नाम	ईकाई (है0 मे)	ईकाई दर (रू0 में)	योग
1	2	3	4	5
1	सर्वे एवं सीमांकन	10.0035	73.00	730.26
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	10.0035	6476.00	64782.67
3	अग्रिम दीवाल बन्दी (फेन्सिंग)	10.0035	16394.00	163997.38
4	मृदा एवं जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल–खालों का निर्माण एवं अन्य अभियांत्रिक कार्यो हेतु प्राविधान	--	--	--
5	गड्डा खुदान (0.30X 0.30 X 0.45)	10.0035	11638.00	116420.73
6	निरीक्षण बटिया बनाना	10.0035	407.00	4071.42
7	पौधों का मूल्य	--	--	--
8	अन्य व्यय जैसे यंत्र, संयंत्र, औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय	10.0035	L.S.	5000.00
9	अन्य कार्य	--	--	--
	योग – प्रथम चरण			**355002.46**
	द्वितीय चरण			
1	गड्डा भरान (0.30X 0.30 X 0.45)	10.0035	1344.00	13444.70
2	पौधों का मूल्य	10.0035	20120.00	201270.42
3	पौध ढुलान कार्य	10.0035	5500.00	55019.25
4	पौधरोपण व थालाबन्दी	10.0035	4478.00	44795.67
5	निराई गुड़ाई व मल्चिंग (दो बार)	10.0035	8096.00	80988.34
6	खाद व दवा पर व्यय	10.0035	39.00	390.14

7	वृक्षारोपण वर्ष में अनुरक्षण पर व्यय	10.0035	5280.00	52818.48
8	8.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत	--	--	--
	सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	10.0035	1475.00	14755.16
	8.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी. की पट्टी साफ करना	10.0035	143.00	1430.50
	8.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्यो हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	--	--	--
9	अन्य व्यय, साईन बोर्ड पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली बोरी आदि क्रय, वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय, वर्ष में दो तीन बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार–प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य	10.0035	3073.00	30740.76
10	अन्य कार्य	10.0035	708.00	7082.48
	योग द्वितीय चरण			**502735.90**
	वृक्षारोपण का प्रथम वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य	10.0035	7920.00	79227.72
2	0.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सुखे घास–फूस एवं ज्वलनशील पदार्थो सूखे घास, फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना प्रति है0	10.0035	1475.00	14755.16
	2.2 सुरक्षा दीवाल/घेरबाढ़ के बाहर 4 मी. की पट्टी साफ करना	10.0035	155.00	1550.54
	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्यो हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना	--	--	--
3	अन्य कार्य	10.0035	6153.00	61551.54
4	**योग**			**157084.96**
	वृक्षारोपण का द्वितीय वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	10.0035	7920.00	79227.72
2	अन्य कार्य	10.0035	6247.00	62491.86
	योग			**141719.58**

	वृक्षारोपण का तृतीय वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में अनुरक्षण कार्य	10.0035	7920.00	79227.72
2	अन्य कार्य	10.0035	6247.00	62491.86
	योग			**141719.58**
	वृक्षारोपण का चतुर्थ वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में अनुरक्षण कार्य	10.0035	7920.00	79227.72
2	अन्य कार्य	10.0035	6247.00	62491.86
	योग			**141719.58**
	वृक्षारोपण का पाचवे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पांचवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	10.0035	7920.00	79227.72
2	अन्य कार्य	10.0035	6247.00	62491.86
	योग			**141719.58**
	वृक्षारोपण का छठे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	10.0035	7920.00	79227.72
2	अन्य कार्य	10.0035	6247.00	62491.86
	योग			**141719.58**
	वृक्षारोपण का सातवे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सातवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	10.0035	7920.00	79227.72
2	अन्य कार्य	10.0035	6247.00	62491.86
	योग			**141719.58**
	वृक्षारोपण का आठवे वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त आठवे वर्ष में अनुरक्षण कार्य	10.0035	7920.00	79227.72
2	अन्य कार्य	10.0035	6247.00	62491.86
	योग			**141719.58**

	वृक्षारोपण का नवें वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवें वर्ष में अनुरक्षण कार्य	10.0035	7920.00	79227.72
2	अन्य कार्य	10.0035	6247.00	62491.86
	योग			**141719.58**
	वृक्षारोपण का दसवां वर्ष का रख–रखाव			
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दसवां वर्ष में अनुरक्षण कार्य	10.0035	7920.00	79227.72
2	अन्य कार्य	10.0035	6247.00	62491.86
	योग			**141719.58**
	महायोग			**2290300.00**

चयनित क्षेत्र के आस–पास रिक्त पड़े क्षेत्र में वृक्षारोपण की कुल लागत :– 2290300.00 (रू0 बाईस लाख नब्बे हजार तीन सौ मात्र)

वन क्षेत्राधिकारी
हल्द्वानी वन क्षेत्र
वराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी उप प्रभाग
वि० के० वन प्रभाग, हल्द्वानी.

प्रभागीय वनाधिकारी
वराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी

कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड,देहरादून।
संख्या 89 /3-5-2 दिनांकःदेहरादूनः 06 जून, 2013.

सेवा में,

समस्त प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः— अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु दरों का निर्धारण।

आप अवगत हैं कि वन भूमि पर प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में भारत सरकार द्वारा गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तित की जाने वाली वन भूमि के एवज में दुगने अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा पारेषण लाईन के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षों के रोपण, सड़कों के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण किये जाने की शर्त भी लगाई जाती है। उक्त वृक्षारोपण कार्यों के लिये अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेश संख्या एल 642/14-3-627/89 दिनांक 30-11-1989 के कम में प्रत्येक वर्ष वृक्षारोपण हेतु दरों का निर्धारण किया जाता है। नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण दरों के आधार पर प्रयोक्ता एजेन्सीज के द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में वृक्षारोपण कार्यों हेतु देय धनराशियों का भुगतान किया जाता है।

2— नोडल अधिकारी के पत्र संख्या—2277/3-5-2 दिनांक 23-04-2012 के द्वारा वर्ष 2012-13 के लिये अवनत वन भूमि पर किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर रूपये 81,510.00 (रू0 इक्यासी हजार पाँच सौ दस) प्रति है0 निर्धारित की गई थी व सड़क निर्माण के प्रकरणों में प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के द्वारा पथ वृक्षारोपण हेतु रूपये—1.00 लाख प्रति कि0मी0 की दर निर्धारित की गई थी। वृक्षारोपण हेतु निर्धारित उक्त दरों में वृक्षारोपण के उपरान्त अनुवर्ती तीन वर्षों के लिये वृक्षारोपण के अनुरक्षण हेतु धनराशि भी सम्मिलित होती है।

3— भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-168/2009-एफ0सी0 (पार्ट) दिनांक 14-02-2013 के द्वारा वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रत्यावर्तन के समस्त प्रकरणों में हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि के एवज में किये जाने वाले वृक्षारोपणों की सफलता सुनिश्चित करने हेतु वृक्षारोपणों का 07 से 10 वर्षों तक रख—रखाव किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। (प्रति संलग्न)

4— भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशों के कम में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में विभिन्न श्रेणियों के वृक्षारोपण हेतु वर्ष 2013-14 के लिये (2000 पौध प्रति है0 की दर) निम्नानुसार अनन्तिम दरें निर्धारित की जाती है :—

i) क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु—रूपये 1,30,000.00 (रू0 एक लाख तीस हजार) प्रति है0।

ii) पारेषण लाईन/रोपवे के कोरिडोर के नीचे बौनी प्रजातियों के वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु—रूपये 1,30,000.00 (रू0 एक लाख तीस हजार) प्रति है0।

iii) मोटर मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख—रखाव हेतु—रूपये 2,00,000.00 (रू0 दो लाख) प्रति कि0मी0।

भारत सरकार द्वारा 1.00 हे0 से कम क्षेत्रफल के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रकरणों में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण, काटे जाने वाले पेड़ों के एवज में दस गुनी संख्या में वृक्षों के रोपण व परियोजना स्थल के आस–पास रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु शर्त लगाई जाती है। इस प्रकार के रोपण क्षेत्रों/वृक्षारोपणों का भी 10 वर्ष तक रख–रखाव किया जाना है, अतः इनकी दरों में भी भारत सरकार के निर्देशानुसार व उक्त अनुपात में दरों में वृद्धि करते हुये तथा वृक्षारोपण स्थल की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों द्वारा प्राक्कलन तैयार कर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के साथ संलग्न किये जायेंगे।

भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 11–9/98–एफ0सी0 दिनांक 23–04–2004 के द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्रों में भू–क्षरण एवं जल संग्रहण कार्यों हेतु अनियान्त्रिक संरचनाओं के निर्माण के भी आदेश दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त वनों पर जैविक दबाव न्यून करने हेतु भारत सरकार के उक्त आदेश में क्षतिपूरक वृक्षारोपणों क्षेत्रों के समीप अवस्थित गाँवों में रहने वाले निर्धन ग्रामवासियों को वैकल्पिक ईंधन संयत्र यथा– धूम रहित चूल्हा, प्रेशर कुकर, स्टोव आदि वितरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। क्षतिपूरक वृक्षारोपण, बौनी प्रजाति आदि वृक्षारोपणों के प्राक्कलन में उक्त संयत्रों को निर्धन एवं बी0पी0एल0 परिवारों को वितरीत करने हेतु आवश्यक प्राविधान किया जाय।

उपरोक्त दरें दिनांक 01–04–2013 से प्रभावी होंगी। उल्लेखनीय है कि यह दरें उच्चतम हैं व इनसे न्यूनतम दरों पर भी कार्य सम्पन्न किये जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण का कार्य उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित वृक्षारोपण नीति तथा वृत्त स्तरीय अनुसूचित दरों के मापदण्डों एवं उल्लिखित प्राविधानों/व्यवस्था के अनुसार सम्पादित किया जायेगा।

संलग्न-यथोपरि।

6.7.2013

(डा0 आर0बी0एस0 रावत)
प्रमुख वन संरक्षक।

संख्या– 89 /3–5–2 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ।
2. समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।

(डा0 आर0बी0एस0 रावत)
प्रमुख वन संरक्षक।

अनुलग्नक - 13

True Copy

F.No. 11-168/2009-FC (pt.)
Government of India
Ministry Of Environment and Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan.
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110510
Dated: 14th February, 2013

To

The Principal Secretary (Forests),
All State/ Union Territory Governments except Jammu and Kashmir

Sub: **Guidelines for diversion of forest land for non-forest purposes under the Forest (Conservation) Act 1980- Period of maintenance of compensatory afforestation.**

Sir,

I am directed to say that a Group of Minister constituted by the Cabinet Secretariat vide their O.M No. 121/4/3/2010- Cab. Dated 3.2.2011 to consider the environment and developmental issues relating to coal mining and other development projects in its fifth meeting held under the Chairmanship of the Hon'ble Finance Minister on 20th September 2011 *inter- alia* accepted the recommendation made by a committee constituted under the chairmanship of Shri B.K. Chaturvedi., Member, Planning Commission that the period of maintenance of afforestation may be increased from the existing 5 years to 7-10 years to ensure that maintenance of Forest cover improves.

Accordingly, I am directed to say that the said decision of the GOM may kindly be kept in view while formulating proposals for creation and maintenance of Compensatory afforestation in lieu of the forest land diverted for non-forest purposes.

Yours faithfully

Sd/-
(H.C. Chandhary)
Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. Principal Chief Conservator of Forest, all State/UT Governments except Jammu and Kashmir.
2. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/UT Governments except Jammu and Kashmir.
3. All Regional Offices, Ministry of Environment & Forests.
4. All Assistant Inspector General of Forests in Forest Conservation Division, MoEF.
5. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
6. Guard File.

Sd/-

(H.C. Chaudhary)
Assistant Inspector General of Forests

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण का कार्य।

अन्य भूमि चयनित न किये जाने का औचित्य

(आपत्ति संख्या– 12)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी (नैनीताल) के विस्तारीकरण हेतु मण्डी समिति द्वारा वर्ष 2005 से निरन्तर निजी एवं अन्य सिविल भूमि की तलाश की जा रही है। परन्तु काफी प्रयास करने के उपरान्त भी मण्डी की आवश्यकतानुसार कहीं भी पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी। हल्द्वानी तथा आस–पास के क्षेत्र में अधिकांशतः भू–स्वामी छोटी जोत के किसान है। विगत वर्षों में हल्द्वानी का अत्यन्त विकास हुआ है। लोगों द्वारा हल्द्वानी एवं आस–पास के क्षेत्र की अधिकांश निजी भूमि क्रय कर उसमें आवासीय भवन बना लिये गये हैं। वर्तमान में हल्द्वानी के आस–पास लगभग 10 कि0मी0 के क्षेत्र में कहीं भी कोई ऐसी निजी एवं अन्य सिविल भूमि उपलब्ध नहीं है, जो कि मण्डी के विस्तारीकरण हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त हो।

मण्डी समिति, हल्द्वानी द्वारा अथक प्रयास करने के उपरान्त भी निजी अथवा अन्य सिविल भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण ही वन भूमि का चयन किया गया है। उक्त चयनित वन भूमि वर्तमान मण्डी से मात्र 900 मीटर की दूरी पर स्थित है। जो कि मण्डी के विस्तारीकरण हेतु सबसे उपयुक्त एवं पर्याप्त है। इसके साथ–साथ चयनित वन भूमि ट्रांसपोर्टनगर के पास बायपास रोड से लगी हुई है जो कि व्यावसायिक दृष्टिकोण से मण्डी की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त है। उक्त चयनित भूमि के चारों ओर घनी आबादी है। वन भूमि से लगे ग्रामवासियों द्वारा समय–समय पर उक्त वन भूमि पर अतिक्रमण का भी प्रयास किया जाता रहा है। जिसे समय–समय पर वन विभाग द्वारा बल पूर्वक हटाया जाता है। भविष्य में भी उक्त भूमि में अतिक्रमण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वन भूमि से सटी भूमि में चारों ओर आबादी होने के कारण धीरे–धीरे लोगों द्वारा अतिक्रमण किये जाने की भी निरन्तर सम्भावना है। उक्त भूमि पर मण्डी स्थल का निर्माण कराये जाने पर आवागमन अधिक होने तथा उसमें चारों ओर से चहारदीवारी का निर्माण हो जाने के पश्चात शेष वन भूमि में अतिक्रमण की संभावना नहीं होगी।

उक्त भूमि में मण्डी का विस्तारीकरण का कार्य किये जाने पर परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले 562 वृक्षों में से मण्डी समिति द्वारा केवल अत्यन्त आवश्यक होने पर ही न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा। शेष वृक्ष मण्डी समिति, हल्द्वानी द्वारा यथावत रखे जायेंगे या उनको आधुनिक तरीके से आस–पास के रिक्त स्थानों पर प्रत्यारोपित किया जायेगा।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति हल्द्वानी द्वारा वर्ष 2005 से मण्डी विस्तारीकरण हेतु निजी भूमि अथवा अन्य सिविल भूमि प्राप्त करने हेतु काफी प्रयास किये गये, परन्तु मण्डी की आवश्यकतानुसार कहीं भी पर्याप्त एवं उपयुक्त भूमि नहीं मिल पायी। इस कारण एक मात्र विकल्प के रूप में ही वन भूमि का चयन किया गया है। विस्तारीकरण हेतु चयनित वन भूमि चारों ओर से आवासीय कालोनियों से घिरी हुई है तथा वर्तमान मण्डी के पास में ही स्थित भी है। अथक प्रयास करने के उपरान्त भी निजी एवं अन्य सिविल भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण मण्डी के विस्तारीकरण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए ही वन भूमि का चयन किया गया है।

सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रभागीय वनाधिकारी,
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग

आपत्ति संख्या - 13

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी

नवीन मण्डी स्थल, बरेली रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)

वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

(30 वर्ष की लीज हेतु)

परियोजना का नाम – कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी जनपद नैनीताल के विस्तारीकरण का कार्य

वन भूमि का विवरण :–

आरक्षित वन भूमि

तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी : 10.0035 है0

सोयल वन भूमि :	शून्य
वन पंचायत :	शून्य
कुल वन भूमि :	10.0035 है0

2.40

प्रपत्र–45

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य

लीज अवधि का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु प्रस्तावित वन भूमि 30 (तीस) वर्षो की लीज पर ली जानी प्रस्तावित है।

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी

प्रयोक्ता एजेन्सी
सचिव,
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
हल्द्वानी (नैनीताल)

वन क्षेत्राधिकारी
हल्द्वानी वन क्षेत्र
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी

उप प्रभागीय वनाधिकारी
हल्द्वानी
तराई केन्द्रीय वनप्रभाग
हल्द्वानी

प्रपत्र–2
परिशिष्ट

(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

परियोजना का नामः– कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल का
विस्तारीकरण कार्य
आपत्ति संख्या 13

भाग–1
(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :–

1.	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी, नैनीताल का विस्तारीकरण कार्य। वन भूमि हस्तांतरण प्रस्ताव (30 वर्ष की लीज हेतु)
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	मानचित्र प्रस्ताव में संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 80,26,57,000.00 ।
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	मण्डी समिति, हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण ।
	ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)	शासनादेश की छायाप्रति संलग्न है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	8000 लोगों को स्थायी/अस्थाई रोजगार प्राप्त होगा।
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	आरक्षित वन भूमि 10.0035 है0 (तराई केन्द्रीय वन प्रभाग, हल्द्वानी)।
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	लागू नहीं
	क) परिवारों की संख्या	लागू नहीं
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	लागू नहीं

4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नही)	नहीं।
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावजेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान–हल्द्वानी

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

(विनोद कुमार लोहुमी)

सचिव,

कृषि उत्पादन मण्डी समिति

हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

आपत्ति संख्या - 14

संख्या : 562 / XIII-II / 46(01) / 2013

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तान्तरण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरा नगर, देहरादून।

कृषि एवं विपणन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 16 जुलाई, 2015

विषयः मण्डी समिति हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु वन विभाग की 10 है0 भूमि के स्थान पर 10.0035 है0 भूमि सचिव, मण्डी समिति, हल्द्वानी को हस्तान्तरित / आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के पत्र संख्या उ.वि.बो. / भू.अधि. / हल्द्वा.म.विस्ता. (682) / 2015–1650 दिनांक 03.6.2015 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित पत्र द्वारा शासनादेश संख्या 651 XIII-II / 2013–46(01) / 2013 दिनांक 11 सितम्बर, 2014 में आंशिक संशोधन करते हुए हल्द्वानी मण्डी समिति के विस्तारीकरण हेतु 10 है. वन भूमि के स्थान पर 10.0035 है.वन भूमि हस्तान्तरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 11 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त 10 है. वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति के स्थान पर 10.0035 है0 वन भूमि मण्डी समिति हल्द्वानी के विस्तारीकरण हेतु हस्तान्तरित किये जाने की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3– शासनादेश संख्या 651 XIII-II / 2013–46(01) / 2013 दिनांक 11 सितम्बर, 2014, की अन्य शर्तें व प्राविधान पूर्ववत रहेंगे।

4– शासनादेश संख्या 651 XIII-II / 2013–46(01) / 2013 दिनांक 11 सितम्बर, 2014 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
प्रमुख सचिव

संख्या : 562 / XIII-II / 46(01) / 2013 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।
2. सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि वन भूमि हस्तान्तरण के संबंध में वन विभाग से समन्वय करते हुए हस्तान्तरण की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
3. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह परमार)
अनु सचिव

आपत्ति संख्या - 15

प्रपत्र 30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER, DISTRICT NAINITAL (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under shedule tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Nainital district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Deepak Rawat I.A.S. deputy commissioner, Nainital on dated 03.08.2015 at time ...11.00 A.M at Nainital in which application claiming rights in Mail area measuring 10.0035 hect. for the construction of **mandi** forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division Level Committee of Haldawani sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place : Nainital
dated : 03-08-2015

Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee
जिलाधिकारी
नैनीताल.

It is further certified that Minutes of Extension of Krishi Utpadan mandi Samiti, Haldwani regarding FRA is as following :

S.No.		Remark
(a)	The complete process of identification and settlement of rights under the FRA had been carried out for the entire 10.0035 hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all consultation and meeting of the Forest Right committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure.	Yes copy of recored attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of FRA have been completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.	Yes copy of recored attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Ceritficate concerned villages regarding construction of mandi is attached.
(c)	The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communities.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

जिला पंचायत सदस्य
(श्रीमती दिव्या)
सदस्य, जिला पंचायत
हल्द्वानी (नैनीताल)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
नैनीताल

प्रभागीय वनाधिकारी
तराई केन्द्रीय वन प्रभाग
हल्द्वानी

जिलाधिकारी
जिलाधिकारी
नैनीताल.